रजिस्ट्री सं० डी. 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 5, 1965/चैत्र 15, 1887
No. 73] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 1965/CHAITRA 15, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वाणिज्य मन्त्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1965

एस० ओ० 1112.—जबकि केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ए के अधीन जारी किये गये अपने आदेश संख्या एस० ओ० 1527 दिनांक 4 जुलाई, 1959 (जैसा कि बाद में बढ़ाया गया), द्वारा श्री एस० के० चौधरी, आई० ए० एस० को अथर्टन वेस्ट एण्ड कं० लि० कानपुर के नाम से ज्ञात उद्योग प्रतिष्ठान का पूर्ण प्रबन्ध सम्हालने का अधिकार दे दिया था ;

और जबकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि यह आवश्यक नहीं कि उपरोक्त आदेश लागू रहे ;

इस लिए अब कथित अधिनियम की धारा 18 एफ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई केन्द्रीय सरकार एतदकथित आदेश को रद्द करती है ।

यह आदेश 13 फरवरी, 1965 से लागू होगा ।

[सं० एफ० 14(16)—टैक्स(ए)/टैक्स (बी) /64]

बी० जी० राव, अतिरिक्त सचिव ।

*English Version of this Order was printed as S.O. 589, dated 12th February, 1965.*



PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965